(44) (39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4438–एक/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 06–12–12 पारित द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (जिला पंजीयक) जिला जबलपुर के प्रकरण कमांक 344/बी–103/धारा 33/2011–2012

.....

मुकेश शर्मा आत्मज स्व0बी0एन0शर्मा,
निवासी 11/47 रामनगर आधारताल
जिला जबलपुर

..... आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर
2–लालजी प्रसाद तिवारी आत्मज स्व0रामदयाल तिवारी,
निवासी महाराजपुर नम्बर बंदोबस्त 664 पटवारी हल्का
नम्बर 20 तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0

.....अनावेदकगण

.....

श्री एस0पी0शुक्ला, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनीवशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक, अनावेदक,

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/7/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा कलेक्टर ऑफ स्टाम्प (जिला पंजीयक) जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–12–12 से परिवेदित होकर भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में आगे केवल अधिनियम कहा जावेगा) की धारा 56(4) के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक श्री मुकेश शर्मा स्व0श्री बी0एन0शर्मा निवासी मकान नम्बर 11/47 रामनगर आधारताल जबलपुर

द्वारा एक इकरारनामा जो रुपये 10/– के स्टाम्प पेपर पर दिनांक 15–4–1993 को निष्पादित है तथा असम्यक रूप से स्टांपित है । आवेदक ने आवेदन पत्र शपथपत्र इकरारनामा दिनांक 26–9–1994 में कलेक्टर ऑफ स्टाम्प न्यायालय द्वारा आदेश पारित दिनांक 22–5–2010 की छायाप्रति खसरा पांचसाला वर्ष 1994–95 से 1998–99 की छायाप्रति सहित मूल इकरारनामा उचित मुद्रांकित किये जाने हेतु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर के द्वारा प्रकरण अधिनियम की धारा 33 में दर्ज किया गया व प्रकरण शीर्ष बी–103 में दर्ज कर धारा 33 की कार्यवाही में लिया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर द्वारा दिनांक 06–12–12 को आदेश पारित किया जाकर आवेदक को शेष स्टाम्प शुल्क रुपये 10,420/– शास्ति रुपये 1,04,200/– कुल राशि रुपये 1,14,620/– रुपये चालान से कोषालय में जमा कराने के निर्देश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–12–12 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदक के द्वारा प्रश्नाधीन विलेख इकरारनामा दिनांकित 15–4–1993 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के समक्ष विधि के अनुसार वैध प्रमाणित करने हेतु प्रस्तुत किया गया और प्रमाणस्वरूप कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर के आदेश दिनांक 22–5–10 प्रकरण कमांक 02/बी–103/धारा 33/2009–10 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई एवं अन्य संबंधित कागजात प्रस्तुत कर यह प्रमाणित किया गया कि इकरारनामा द्वारा प्रभावित भूमि के पश्चात्वर्ती इकरारनामा दिनांक 26–9–1994 में सम्मिलित कर लिया गया और पश्चात्वर्ती इकरारनमा पर देय स्टाम्प शुल्क 13,355/– एवं शास्ति रुपये 53,420/– कुल रुपये 66,775/– कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जबलपुर के आदेश दिनांक 22–5–10 अनुसार आवेदक के द्वारा जमा करके इकरारनामा दिनांक 26–9–1994 को स्टाम्प अधिनियम की

धारा 40 के अंतर्गत वैध रूप से स्टांपित करा लिया गया इसलिये इकरारनामा दिनांक 15–4–1993 पर स्टाम्प शुल्क देय नहीं है परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ने प्रकरण की वस्तुस्थिति समझे बिना त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 33 के अन्तर्गत प्रकरण की स्थापना विधि विरूद्ध होने से जो आदेश अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत दिया गया है एवं कमी स्टाम्प शुल्क रुपये 10,420 तथा दस गुना शास्ति रुपये 1,04,200/– आरोपित की गई है वह भी विधि विरूद्ध है । इकरारनामा विलेख दिनांक 15–4–1993 में भूमि विक्रय करने का करार रुपये 70,000/– का है इसलिये भूमि का मूल्य रुपये 70,000/– प्रमाणित मूल्य है परन्तु कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के द्वारा भूमि के बाजार मूल्य की गणना गाइड लाइन वर्ष 1993–94 अनुसार की गई है जबकि स्टाम्प अधिनियम की धारा 47–क के प्रावधान जो कि लिखत के द्वारा हस्तांतरित होने वाली संपत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु है केवल उन दस्तावेजों के लिये जो कि पंजीयन अधिनियम 1908 के अन्तर्गत पंजीकरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं और प्रश्नाधीन विलेख पंजीकरण करने हेतु पंजीकरण अधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया गया है अतः संपत्ति का बाजार 81,000/– तय किया गया है वह विधि विरूद्ध है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प का विवादित आदेश अपास्त किया जाकर प्रश्नाधीन इकरारनामा को वैध घोषित किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधिसंगत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एव अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की मुख्य आपत्ति यह है कि उक्त इकरारनामे दिनांक 15–4–1993 में जो भूमि है वह अन्य इकरारनामे

दिनांक 26–9–1994 में सम्मिलित है तथा उन्होंने कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के आदेश दिनांक 22–5–2010 से दिनांक 26–9–1994 का इकरारनामा उचित स्टाम्पित करा लिया है अतः एक ही संव्यवहार पर अलग अलग मुद्रांक शुल्क देय नहीं होना चाहिये । आवेदक के द्वारा दिनांक 26–9–1994 के इकरारनामे को impound कराने के बाद इकरारनामा दिनांक 15–4–1993 (जो कि part भूमि के लिये ही था) को भी impound कर उचित stamped करने के लिये प्रस्तुत किया । इसी से स्पष्ट है कि वह दोनों इकरारनामों का अलग–अलग उपयोग करना चाह रहे हैं । ऐसी स्थिति में लिखत को आधार मान कर मुद्रांक शुल्क की गणना करने में कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ जहॉ तक धारा 33, धारा 40, शास्ति, बाजार मूल्य आदि के संबंध में आवेदक द्वारा उठाये गये बिन्दुओं का प्रश्न है कलेक्टर ने इस प्रकरण को भी उन्हीं धाराओं में लिया है जिनको पूर्व में इकरारनामा दिनांक 26–9–1994 का निराकरण करते हुये लिया था तथा जिनसे आवेदक सहमत रहा है । ऐसी स्थिति में अब इस प्रकरण में इस संबंध में आवेदक द्वारा उठाई आपत्तियॉ स्वीकार योग्य नही होने से अमान्य की जाती है ।

7/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर